

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 23/2026 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

हिन्दुजा हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी नेहा कुमावत
रजि. कार्यालय:- 27 ए, डवलपड इन्डस्ट्रीयल एस्टेट गुईन्डी चेन्नई-600032
शाखा कार्यालय:-21/22, ऊपरी भूतल जयपुर इलेक्ट्रानिक मार्केट बिल्डिंग
गोपालपुरा बाईपास जयपुर-302018

-प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. हेमलता मीणा पत्नी बलवीर मीणा निवासी पट्टा नं. 239 वार्ड नं. 18 मोहल्ला श्यामजी का रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. 302404
2. बलवीर मीणा पुत्र नानग राम मीणा निवासी पट्टा नं. 239 वार्ड नं. 18 मोहल्ला श्यामजी का रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. 302404
3. धमेन्द्र कुमार मीणा पुत्र नानग राम मीणा निवासी पट्टा नं. 239 वार्ड नं. 18 मोहल्ला श्यामजी का रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. 302404
4. कस्तूरी देवी पत्नी नानग राम मीणा निवासी पट्टा नं. 239 वार्ड नं. 18 मोहल्ला श्यामजी का रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. 302404

-अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांक: 20 अप्रैल, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री राहुल पारीक द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः हेमलता मीणा पत्नी बलवीर मीणा, बलवीर मीणा पुत्र नानग राम मीणा, धमेन्द्र कुमार मीणा पुत्र नानग राम मीणा व कस्तूरी देवी पत्नी नानग राम मीणा की ओर से पुनर्भुगतान हेतु

(आशीष मोदी)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 239 वार्ड नं. 18 मोहल्ला श्यामजी का रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. 302404 में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 173.33 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में मकान सुमेर मीणा, पश्चिम दिशा में रास्ता, उत्तर दिशा में मकान मन्नी देवी, कानाराम मीणा एवं दक्षिण दिशा में रास्ता है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर कुल ₹28,11,000/—रूपये (अक्षरे रूपये अठाईस लाख ग्यारह हजार) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 12.08.2025 के रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।



2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगणों की ओर से वकील श्री भरतपाल ढाका उपस्थित हुए परन्तु बकाया ऋण के भुगतान से संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 12.08.2025 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः हेमलता मीणा पत्नी बलवीर मीणा, बलवीर मीणा पुत्र नानग राम मीणा, धमेन्द्र कुमार मीणा पुत्र नानग राम मीणा व कस्तूरी देवी पत्नी नानग राम मीणा की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 239 वार्ड नं. 18 मोहल्ला श्यामजी का रिंगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. 302404 में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 173.33 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में मकान सुमेर मीणा, पश्चिम दिशा में रास्ता, उत्तर दिशा में मकान मन्नी देवी, कानाराम मीणा एवं दक्षिण दिशा में रास्ता है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के स्वीकृति आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।



6. आदेश आज दिनांक 20 अप्रैल, 2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष मोदी)
(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर